



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या:- 26/2021 जी.सी.एम.एस नं० 2021/60

1. कैलाश प्रसाद आयु 65 वर्ष, पुत्र रूपनारायण जाति महाजन निवासी सर्राफ कॉलोनी बस स्टेण्ड बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:वादी:—

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र रूपनारायण
2. गिर्राज प्रसाद दत्तक पुत्र जगदीश नारायण
3. वंशिका पुत्री दीपक
4. समस्त जातियान महाजन निवासी सर्राफ कॉलोनी बस स्टेण्ड बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर राज०।

—:प्रतिवादीगण:—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-श्री कुलदीप किशोर शर्मा, एड० वादी

श्री सुधीर शर्मा, एड० प्रतिवादी संख्या 1

श्री राजेश शर्मा, एड० प्रतिवादी संख्या 2 व 3

पर्चा डिक्री

दिनांक 29/11/2024

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा आराजी खाता संख्या 1364 खसरा नम्बर 1924 रकबा 0.3700 हैक्टेयर स्थित ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान पर वादी का कब्जा नहीं होने एवं पुख्ता निर्माण होने से स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 29/11/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

29/11/24

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

